



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
South East Central Railway



मुख्यालय कार्मिक विभाग, प्रथम तल, महाप्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर (छ. ग.) 495004
HEAD QUARTER PERSONNEL DEPARTMENT, 1st FLOOR, GM's OFFICE, BILASPUR (C.G.) 495004
सं. पी-एचक्यू/रुलिंग/पॉलिसी/ 15 दिनांक: 03.08.2022

प्रति,
सर्व संबंधित

स्थापना नियम सं.- 203/2022

विषय:- Calculation of per capita charges {Per Card Holder (family)} for providing Medical Facilities to certain beneficiaries in Railway Hospital/Dispensaries.

रेल्वे बोर्ड के पत्र सं. 2020/H-1/2/5/per capita दिनांक: 22.07.2022 की प्रति सूचना, मार्गदर्शन तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकाशित की जा रही है। बोर्ड के संदर्भित पत्र को निम्नानुसार स्थापना नियम के तहत प्रकाशित किया गया था:-

क्र.	रेल्वे बोर्ड का पत्रांक एवं दिनांक	स्थापना नियम संख्या
1.	2020/H-1/2/5/per capita dt.31.08.2021	175/2021
2.	2020/H-1/2/5/per capita dt.28.10.2020	212/2020

उपरोक्त नियम दफ्तरे की अधिकारिक वेब-साइट <http://www.secr.indianrailways.gov.in> एवं PCPO के share folder (10.206.2.18) पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं:-

Web-site-

Home page—Dept./Div of SECR—HQ—Personnel—Rules & Publications

Share Folder-


Personnel—PCPO—Ruling—html—Estt. Rules

संलग्न:- यथोक्त.


03.8.22

(अशोक कुमार शर्मा)
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (एच.आर.डी)
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

(74)



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)



No. 2020/H-1/2/5/per capita

New Delhi, dated 22 .07.2022

SECR

The General Managers,
All Indian Railways/Production Units
The Director General, RDSO, Lucknow, The CAO(R), DMW, Patiala,
& The CAO/RWP/Bela.

Sub: Calculation of per capita charges {Per Card Holder (family)} for providing
Medical Facilities to certain beneficiaries in Railway Hospital/Dispensaries.

Ref: Board's letter of even no. dated 25.11.2014, 27.05.2016, 20.12.2017, 26.06.2018,
17.06.2019, 28.10.2020 & 31.08.2021.

In terms of Para 610(3) of IRMM-2000, Medical attendance and treatment facilities
are available to the staff and the members of their families of the Cooperative Credit
Societies and Banks on per capita charge basis. Similarly, as per Para 610(5) of IRMM-
2000, Indoor Medical facilities to the family members of quasi-Railway organization, as
mentioned in para 610(1) of IRMM-2000, are available on payment of per-capita charges.

The per capita charges {Per Card Holder (family)} is calculated on the basis of total
expenditure on medical services (excluding health services) incurred on Railway employee
in India during the previous financial year.

Accordingly, the per capita charges {Per Card Holder (family)} for the financial year
i.e. 2021-22 are Rs. 17,304/- p.a.

This issues with the concurrence of Finance Directorate of Railway Board.

(P.M.Meena)
Jt. Director/Health
Railway Board

TELE No.:011-47843222
Email ID:pooranmal.meena@gov.in
4th Floor, Room No. 12

No. 2020/H-1/2/5/per capita

New Delhi, dated 22 .07 .2022

Copy for information & necessary action to:

1. The Principal Chief Medical Directors/CMOs/CMSs., All Indian Railways & Production Units.
2. The Principal Chief Personnel Officers, All Indian Railways & Production Units.
3. The Principal Finance Advisers, All Indian Railways & Production Units.
4. The Director of Audit, All Indian Railways & Production Units.
5. The Dy. Comptroller & Auditor General of India(Railways),Room No. 222, Rail Bhawan, New Delhi

22.7.2022
for Member Finance/ Railway Board

Copy for DDF(E)1& F(E) Spl., Railway Board

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. 2020/एच-1/2/5/पर केपिटा

नई दिल्ली, दिनांक 22.07.2022

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

महानिदेशक, अ.अ.मा.सं., लखनऊ, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर), डीएमडब्ल्यू, पटियाला,
एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/आरडब्ल्यूपी/बेला।

विषय: रेल अस्पतालों/औषधालयों में कुछ लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रति व्यक्ति प्रभार {प्रति कार्ड होल्डर (परिवार)} की गणना।

संदर्भ: बोर्ड के दिनांक 25.11.2014, 27.05.2016, 20.12.2017, 26.06.2018, 17.06.2019, 28.10.2020 एवं 31.08.2021 के समसंख्यक पत्र।

आईआरएमएम-2000 के पैरा 610(3) के अनुसार, सहकारी क्रेडिट समितियों और बैंकों के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए प्रति व्यक्ति प्रभार के आधार पर चिकित्सा सेवा एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसी प्रकार, आईआरएमएम-2000 के पैरा 610(5) के अनुसार, अर्ध-रेलवे संगठन के परिवार के सदस्यों के लिए आईआरएमएम-2000 के पैरा 610(1) में यथा उल्लिखित, प्रति-व्यक्ति प्रभार का भुगतान करने पर आंतरिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं।

प्रति व्यक्ति प्रभार की गणना {प्रति कार्ड धारक (परिवार)} पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत में रेल कर्मचारियों की चिकित्सा सेवाओं (स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़ कर) पर हुए कुल खर्च के आधार पर की जाती है।

तदनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रति व्यक्ति प्रभार {प्रति कार्ड धारक (परिवार)} 17,304/- रुपये प्रति वर्ष है।

इसे रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(पी. एम. मीना)

संयुक्त निदेशक/स्वास्थ्य

रेलवे बोर्ड

टेली नं.: 011-47843222

ई मेल आईडी: pooranmal.meena@gov.in

चौथा तल, कमरा नं. 12

सं. 2020/एच-1/2/5/पर केपिटा

नई दिल्ली, दिनांक 22.07.2022

सूचानार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि प्रेषित:

1. प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक/सीएमओ/सीएमएस, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
2. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
3. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
4. लेखापरीक्षा निदेशक, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।
5. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 222, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सदस्य वित्त/रेलें

प्रतिलिपि डीडीएफ (ई)1 एवं एफ (ई) विशेष, रेलवे बोर्ड को प्रेषित